


दिनांक 13-09-2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि अप्रार्थी रमोल का देहान्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये समय चाहिये। अतः पत्रावली वास्ते प्रस्तुत करने प्रार्थना पत्र दिनांक 03-10-2019 को पेश हो।



उपस्रण्ड अधिकारी
महया (जिल्स दौसा)

दिनांक 03-10-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थियागण व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थियागण अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थियागण अपने प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते है।

अतः प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर शामिल मूल रहे।

आदेश सुनाया गया।


उपस्रण्ड अधिकारी
महया (जिल्स दौसा)